

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 84 / 2019

निर्णय दिनांक —31.05.2019

1. भैरूलाल पिता नारायण जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. राधेश्याम पिता प्रभुलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. शम्भुलाल पिता प्रभुलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
4. नोजी पिता प्रभुलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
5. हुलासी पिता प्रभुलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

— प्रार्थीगण

// बनाम //

1. श्रीलाल पिता कालु मेघवाल आयु वयस्क निवासी कृपाराम जी खेडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. उंकारलाल पिता रामलाल गाडरी आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. मोहनलाल पिता रामलाल गाडरी आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
4. गोरीलाल पिता रामलाल गाडरी आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

— विपक्षीगण

### प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

#### आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा फुटवाल पटवार हल्का अरनिया जोशी, तह0 निम्बाहेडा की प्रार्थी की खाता संख्या 55 की आराजी नं0 132 रकबा 1.1800 हैक्टेयर कुल कीता 1 कुल रकबा 1.1800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा फुटवाल पटवार हल्का अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा की प्रार्थी की खाता संख्या 55 की आराजी नं0 132 रकबा 1.1800 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेड़ा

